न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2016/00357 **दायरा दिनांक : 24.10.2016**

उनवान

श्रीलाल आत्मज जवाहरी लाल, जाति गूर्जर, निवासी मोरेला, तहसील छबड़ा, जिला बारां
.... अपीलांट

बनाम

1– लक्ष्मीनारायण आत्मज जवाहरी लाल, जाति गूर्जर, निवासी मोरेला, तहसील छबड़ा, जिला बारां
2– राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी, तहसील छबड़ा
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार व उपपंजीयक छबड़ा, जिला बारां
4– मान्यता प्राप्त समस्त बैंक शाखाये छबड़ा, जिला बारां
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री साहिब लाल मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपरिथित।

निर्णय **दिनांक : 22.04.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 138/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मोरेला, तहसील छबड़ा में खाता संख्या 108 की भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा कृषि आराजी स्थित है, जो भूतकाल में वादी के कब्जे काश्त में रही, पारिवारिक समझौते के तहत वादी को दी गई थी, वादी वर्तमान में काबिज काश्त है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 से न्याय आपके द्वार–2016 केम्प कोर्ट सेमली पर मजमे आम वादी का वाद तथ्यहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया गया, तद्नुसार डिक्री परचा जारी किया। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद बाबत खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री न कर खारिज करने में कानूनी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादी के पिता का नाम पांथू लाल है किन्तु उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम पाथू लाल के स्थान पर भोलू लाल दर्ज हो गया है, जो गलत है। वादी के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, वोटर आई.डी. में, राशन कार्ड में, पंचायत

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तस्दीक में भी वादी के पिता का नाम पांथू लाल दर्ज है। इस तथ्य की पुष्टि उक्त दस्तावेजों से होती है किन्तु इसके बावजूद भी दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया है। उपरोक्त कारण से राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम भोलू लाल के स्थान पर पांथूलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 15.03.2017 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को दावा वादी स्वीकार क रनाम दुरूस्ती का आदेश पारित करना चाहिए था, ऐसा न कर दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है।

अतः अपील पेश कर विनय है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 निरस्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.08.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वाद एवं निर्णय दिनांक 09.06.2016 से मेल नहीं खाता है क्योंकि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया एवं विवादित आराजी ग्राम मोरेला, तहसील छबडा में खाता संख्या 108 की खसरा नम्बर 325 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर कब्जे के आधार पर स्वयं वादी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज करने हेतु वाद पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय दिनांक 09.06.2016 को न्याय आपके द्वार–2016 केम्प कोर्ट मुख्यालय सेमली में वादी द्वारा कोई ठोस राजस्व दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किये जाने के कारण वादी का वाद सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किया।

वादी/अपीलांट श्रीलाल ने इस न्यायालय में जो अपील पेश की है उसमें वादी के पिता का नाम पांथू लाल के स्थान पर भोलू लाल दर्ज होने पर नाम दुरूस्त करने की प्रार्थना की है। अतः

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट श्रीलाल द्वारा प्रस्तुत वाद व निर्णय एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में चाहे गये अनुतोष में भिन्नता होने से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि वादी/अपीलांट इस न्यायालय से क्या अनुतोष प्राप्त करना चाहता है ? अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/4/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– श्रीलाल आत्मज जवाहरी लाल, जाति गूर्जर, निवासी मोरेला, तहसील छबड़ा, जिला बारां
.... **अपीलांट्स**

बनाम

1– लक्ष्मीनारायण आत्मज जवाहरी लाल, जाति गूर्जर, निवासी मोरेला, तहसील छबडा, जिला बारां
2– राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी, तहसील छबडा, जिला बारां
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार व उपपंजीयक छबड़ा, हल्का पटवारी, तहसील छबडा, जिला बारां
4– मान्यता प्राप्त समस्त बैंक शाखायें छबडा, जिला बारां
.... **रेस्पोडेंट्स**

अपील नं **2016 / 00357**
मु.द.नं0 **138 / 2014**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **09.06.2016**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **02 माह 04** सन् **2024**

श्री **साहिब लाल मीणा** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 09.06.2016 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **22 माह 04 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)